संसदीय कार्य मंत्रालय

विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ सरकार की बैठक आज संपन्न

सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग का आग्रह: केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री

सरकार संसद में स्वस्थ चर्चा चाहती है: श्री राजनाथ सिंह

प्रविष्टि तिथि: 28 NOV 2021 3:48PM by PIB Delhi

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आज यहां सभी दलों के सदन के नेताओं के साथ सरकार की बैठक हुई। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने अपने उद्घाटन भाषण में बैठक को संसद के आगामी सत्र की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 29 नवंबर, 2021 को शुरू होगा और सरकारी कामकाज की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप यह सत्र गुरुवार, 23 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो सकता है। इस सत्र में 25 दिनों की अवधि में कुल 19 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर और 27 अक्टूबर, 2021 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दो बैठकें हुई थीं, जिसमें आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा के लिए कुछ विषयों की पहचान की गई थी। फीडबैक के आधार पर अस्थायी रूप से 37* विषयों की पहचान की गई थी। इनमें 36 विधेयक और 1 वित्तीय विषय शामिल है, जिन्हें शीतकालीन सत्र, 2021 के दौरान चर्चा के लिए चिन्हित किया गया है।

तीन अध्यादेशों – (i) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021, (ii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021, और (iii) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2021 – जिन्हें अंतर-सत्र अवधि के दौरान प्रख्यापित किया गया था, का स्थान लेने वाले तीन विधेयकों को संसद का सत्र दोबारा शुरू होने के छह सप्ताह की अवधि के भीतर संसद के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने की जरूरत है। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार सदन के पटल पर प्रक्रिया के नियमों के तहत किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। श्री जोशी ने सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग का आग्रह भी किया।

बैठक में भाग लेने वाले सभी दलों के नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुनने के बाद, अपने संबोधन में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस बात के लिए सराहना की कि चर्चा बहुत स्वस्थ रही और महत्वपूर्ण मुद्दों को चिन्हित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने संसद में और अधिक चर्चा की जरूरत बताई। इस संबंध में, उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार भी संसद में स्वस्थ चर्चा चाहती है।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल और केन्द्रीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने इस बैठक में भाग लिया। संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री. अर्जुन राम मेघवाल एवं श्री वी. मुरलीधरन भी इस बैठक में उपस्थित रहे।

इस बैठक में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, डीएमके, एआईटीसी, वाईएसआरसीपी, जेडी (यू), बीजेडी, बीएसपी, टीआरएस, एसएस, एलजेएसपी, एनसीपी, एसपी, सीपीआई (एम), आईयूएमएल, टीडीपी, अपना दल, सीपीआई, एनपीएफ, शिअद, आप, एआईएडीएमके, केसी (एम), एमएनएफ, आरएसपी, आरपीआई (ए), आरजेडी, एनपीपी, एमडीएमके, जेकेएनसी, टीएमसी (एम) समेत 30 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया।

शीतकालीन सत्र, 2021 के दौरान लाए जाने वाले संभावित विधेयकों की सूची

I. विधायी कार्य

1. स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021 (एक अध्यादेश के स्थान पर)
2. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 (एक अध्यादेश के स्थान पर)
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (एक अध्यादेश के स्थान पर)
4. बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 जैसाकि लोकसभा द्वारा पारित किया गया
5. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 जैसाकि लोकसभा द्वारा पारित किया गया
6. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
7. सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) विधेयक, 2020
8. राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा शोध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021
9. उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
10. कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021
11. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक, 2021
12. दिवाला और शोधन अक्षमता (द्वीतीय संशोधन) विधेयक, 2021
13. कैंटोनमेंट विधेयक, 2021
14. अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2021
15. भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021
16. उत्प्रवास विधेयक, 2021
17. क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का विनियमन विधेयक, 2021
18. पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
19. बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021
20. भारतीय समुद्री मात्स्यिकी विधेयक, 2021
21. राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, 2021

22. राष्ट्रीय नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2021
23. मेट्रो रेल (निर्माण, संचालन और रखरखाव) विधेयक, 2021
24. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021
25. बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021
26. राष्ट्रीय परिवहन विश्वविद्यालय विधेयक, 2021
27. संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 (उत्तर प्रदेश से संबंधित)
28. संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 (त्रिपुरा से संबंधित)
29. मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021
30. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
31. मध्यस्थता विधेयक, 2021
32. खान (संशोधन) विधेयक, 2011 (वापसी के लिए)
33. अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा परिस्थिति विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 (वापसी के लिए)
34. भवन और अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिक संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2013 (वापसी के लिए)
35. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013 (वापसी के लिए)
36. वक्फ संपत्तियां (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) विधेयक, 2014 (वापसी के लिए)

II- **वित्तीय कार्य**

1. 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर प्रस्तुतिकरण, चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना, विचार करना और पारित करना।

******

एमजी/एएम/आर/एके

(रिलीज़ आईडी: 1775929)